न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 78/2012

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
1.गोमाराम पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी चौहटन 2.सवाईराम पुत्र नगाराम जाति दर्जी निवासी चौहटन 3.हरिसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी चौहटन 4.प्रागसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी चौहटन तहसील चौहटन		1.ग्राम पंचायत चौहटन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन 2.श्रीमती भंवरीदेवी पत्नि विरधीचन्द जाति ओसवाल निवासी चौहटन तहसील चौहटन

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 निरस्त करने पट्टा संख्या 2822 दिनांक 12.12.2009 जो ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा अप्राथीर्नी भंवरीदेवी के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः–1.श्री प्रेमाराम सोनी एंव श्री सुनील के मेराजा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2.श्री रमेश सोलंकी अधिवक्ता अप्रार्थीनी संख्या 02 की ओर से
3.अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 21.03.2018

1. प्रार्थीगण ने यह निगरानी ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 02 के पक्ष में जारी आवासीय भूखण्ड का पट्टा संख्या 2822 दिनांक 12.12.2009 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीनी संख्या 02 भंवरी देवी पत्नि विरघीचन्द जाति ओसवाल निवासी चौहटन ने सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर,ग्राम पंचायत चौहटन के प्रताप नगर की आबादी भूमि में आवासीय भूखण्ड का विक्रय विलेख आवंटन करने हेतु निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत ने पत्रावली कायम कर, अप्राथीनी संख्या 02 के पक्ष में नियम 158(2)(ग) के तहत पट्टा जारी कर दिया। प्रार्थीगण का यह कथन है कि अप्रार्थीनी संख्या 02 के पास ग्राम चौहटन में रहवासी मकान है जिसमें वह अपनी परिवार सहित निवास करती है। ग्राम चौहटन में रहवासी मकान होने से उसे भूमिहीन नहीं माना जा सकता है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। इसलिये अप्रार्थीनी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा खारिज किया जाए।

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

3. निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत चौहटन से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर,निगरानी के पद संख्या 01 से 07 गलत होने से अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

4. हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी। अप्रार्थीनी संख्या 02 के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि ग्राम पंचायत ने नियम 145 से 158 की कोई पालना नहीं की है। अप्रार्थीनी संख्या 02 के पास ग्राम चौहटन की आबादी में रहवासी मकान है जो उसके पति विरधीचन्द के नाम से पट्टा संख्या 370 दिनांक 25.06.1977 को जारी किया है,जिसमें अपने परिवार सहित निवास करती है। राजस्थान पंचायती राज नियम 158 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के पास उसी ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में रहवासीय मकान होने के बाद उसे भूमिहीन नहीं माना जा सकता है और न ही ग्राम पंचायत कानूनन उस व्यक्ति को भूखण्ड का आवंटन कर सकती है।इसके बावजूद अप्रार्थीनी संख्या 02 ने सरपंच के साथ षडयंत्र कर ग्राम पंचायत चौहटन की कीमती भूमि को हड़पने की नीयत से अपना स्वंय का रहवासी मकान होते हुए भी अपने आप को भूमिहीन बताकर गलत तथ्यों के आधार पर पट्टा संख्या 2822 दिनांक 12.12.2009 हासिल कर ग्राम पंचायत को भारी आर्थिक नुकसान पहुँचाया है। अप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा की भूमि प्लोट संख्या 191,193 व 194 मे पूर्व पंचायत ने नीलामी के जरिये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवायी थी।प्लोट संख्या 193 चिंतामणदास पुत्र शेरमल के नाम नीलामी बताई गई और निगरानी संख्या 5/82 भगवानदास बनाम चिंतामणदास में निर्णय दिनांक 24.5.83 द्वारा भूखण्ड संख्या 193 की भूमि पंचायत मानी है। नीलामी नियम विरूद्ध एंव फर्जी होने से तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा जिला कलक्टर एंव राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में अपीलें पेश करने पर खारिज की गई। इन आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिटें पेश की जिसमें डबल बेंच द्वारा पंचायत की भूमि मानी जाकर पुनः पंचायत को सुपुर्द की। ग्राम पंचायत ने अपने चहेते लोगों को कम कीमत पर पट्टे दिये गये। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीगण को पुरानी तारीखों में दिनांक 12.12.2009 को पंचायत आचार संहिता लगने के बाद पट्टे जारी किये है। अन्त में उन्होंने ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा जारी पट्टा को नियम 158 के विरूद्ध एंव गलत होना बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया।

5. इसके जवाब में अप्रार्थीनी संख्या 02 के अधिवक्ता ने लिखित बहस में बताया कि अप्रार्थीनी संख्या 02 ने ग्राम चौहटन के मोहल्ला सुन्दर नगर में प्लोट को हासिल करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत चौहटन ने पत्रावली कायम कर,मौका निरीक्षण करने का आदेश एंव प्रस्ताव पारित किया। आपतियां पेश करने के बाद एक माह का नोटिस

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जारी किया गया। इसके बाद समस्त कार्यवाही विधि अनुसार उपरान्त अप्रार्थीनी संख्या 02 को पट्टा जारी किया गया है, वह सही है। उन्होंने तर्क दिया कि अप्रार्थीनी संख्या 02 के पास मोहल्ला सुन्दर नगर में कोई आवासीय प्लोट नहीं है। अप्रार्थीनी का इस भूखण्ड के अलावा कहीं पर भी भूखण्ड नहीं है। जॉच अधिकारी द्वारा पट्टों की जॉच में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा को विधि सम्मत माना है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 02 को पुरानी तारीखे एंव तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा पट्टा बही अपने कब्जे में लेने के उपरान्त दिनांक 12.12.2009 को आचार संहिता लगने के बाद पट्टे जारी करने का आक्षेप गलत एंव निराधार है। राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर के पत्र कंमाक प1–'1 पंचायत/सानिआ/09/6501 अनुसार दिनांक 21.12.2009 को समस्त पंचायत क्षेत्रो में आदर्श आचार संहिता लागू की गई जिससे आचार संहिता लगने के बाद पट्टा जारी होना साबित नहीं है। ग्राम पंचायत की पट्टा बही में 12.12.2009 के बाद पट्टा जारी करने का कोई इन्द्राज नहीं है। मोहल्ला सुन्दर नगर के प्लोट संख्या 191,193 व 194 मे पूर्व पंचायत ने नीलामी के जरिये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवायी थी। इसमें प्रार्थी निगरानीकर्ता का यह आक्षेप था कि उक्त भूमि ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा नीलामी के जरिये विकय की जानी थी,उनका यह आक्षेप गलत है क्योकि प्लोट संख्या 191 खेतमल पुत्र भाणीराम,प्लोट संख्या 194 कुशलसिंह पुत्र रावतसिंह,प्लोट संख्या 193 चिंतामणदास पुत्र शेरमल ने वर्ष 1980–81 में सार्वजनिक नीलामी से खरीदे थे लेकिन इसके विरूद्ध राजस्व अपील अकिारी की न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसमें उक्त नीलामी की गई भूमि को निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध खेतमल व कुशलसिंह ने उच्च न्यायालय में रिट पीटीशन प्रस्तुत की जिसे उचच न्यायालय द्वारा खारिज किया गया जिससे उक्त भूमि पुनः ग्राम पंचायत को मिलने से ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा नियमो में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर बाद जॉच अप्रार्थीनी संख्या 02 को सही पट्टा जारी किया गया है। जिसे खारिज करने का कोई विधि सम्मत आक्षेप पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है,प्रार्थीगण निगरानी प्रार्थना पत्र में उठाये गये आक्षेप को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है। इसलिये प्रार्थीगण की निगरानी सारहीन एंव गलत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एंव ग्राम पंचायत चौहटन से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीगण को पुरानी तारीखों में एंव तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा पट्टा बही अपने कब्जे में लेने के उपरान्त दिनांक 12.12.2009 को आचार संहिता लगने के बाद पट्टे जारी किये है। इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान,जयपुर के पत्र कंमाक प0 (1)(1) पंचा/रानिआ/09/6501 अनुसार दिनांक 21.12.2009 को समस्त पंचायत क्षेत्रो में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। जिससे

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आचार संहिता लगने के बाद पट्टे जारी होना साबित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई पट्टा बही अनुसार जारी पट्टों का कमानुसार इन्द्राज किया गया है एंव दिनांक 12.12.2009 के बाद पट्टा जारी करने का कोई इन्द्राज पट्टा बही में नहीं है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का यह कथन कि मोहल्ला सुन्दर नगर के प्लोट संख्या 191,193 व 194 मे पूर्व पंचायत ने नीलामी के जरिये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवायी थी। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार प्लोट संख्या 191 खेतमल पुत्र भानीराम,प्लोट संख्या 194 कुशलसिंह पुत्र रावतसिंह व प्लोट संख्या 193 चिंतामणदास पुत्र शेरमल ने वर्ष 1980–81 में सार्वजनिक नीलामी द्वारा खरीदे थे परन्तु इनके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में निगरानी पेश की गई। राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर ने निगरानी स्वीकार कर नीलामी द्वारा खरीदी गई इस भूमि को निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्ध खेतमल व कुशलसिंह ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पीटीशन संख्या स्पेशल अपील संख्या 64/87 निर्णय दिनांक 11.8.87 एंव सिविल रिट पीटीशन संख्या 2693/83 निर्णय दिनांक 19.7.1994 द्वारा खारिज की गयी। जिससे वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र की होने से भूमि पर पट्टे जारी किये गये है। ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 02 भंवरीदेवी के पक्ष में जारी पट्टा के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अप्रार्थीनी संख्या 02 भूमिहीन नहीं होने और नियम 158 के तहत भूमि आवंटन की पात्रता नहीं रखती है जबकि अप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थीनी श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन है जिसको ग्राम पंचायत ने बाद आवटन का पात्र मानते हुए आबादी भूमि का पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में हमने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 का अवलोकन किया गया। नियम 158 में भूमियो का कमजोर वर्गो को आवंटन का प्रावधान है। इस नियम के तहत पंचायत,गांव आवंटितियो में,300 वर्ग गज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जाति, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो के सदस्यों,गांव कारीगरो,श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यकम में चयनित परिवारों, विकलांगो, गाडियों लौहारो को जिनके पास स्वंय के गृह स्थल/गृह नहीं है,को रियायती दरो पर आवंटित कर सकेगी। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा संख्या 360 के अवलोकन से मिसल संख्या 111/75–76 में पट्टा संख्या 360 दिनांक 25.06.1977को अप्रार्थीनी संख्या 02 के पति विरधीचन्द पुत्र तुलच्छीदास जैन निवासी चौहटन के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थीनी के पति विरधीचन्द के नाम ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में पट्टा होने से अप्रार्थीनी भूमिहीन नहीं होने के बावजूद ग्राम पंचायत चौहटन ने नियम 158(2)(ग)के तहत पट्टा संख्या 2822 दिनांक 12.12.2009 को पट्टा किया गया है। ग्राम पंचायत चौहटन ने अप्रार्थीनी संख्या 02

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

को पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 158 के तहत पात्रता की जॉच नहीं कर, अप्रार्थीनी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीनी संख्या 02 के नाम से नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो विधिनुकूल नहीं होने एंव त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 02 भंवरीदेवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2822 दिनांक 12.12.2009 को खारिज किया जाता है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर